न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 40 / 2023 / अपील / एलआरएक्ट / कोटा
दायरा दिनांकः 8.2.2023
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उनवान

1. मुकेश आ0 नवला
2. छोट्या
3. किशना पिसरान पन्नालाल
जाति मीणा निवासी ग्राम प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा–राज0।

...अपीलार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा–राज0।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री तेजमल जैन अभिभाषक–अपीलार्थी
पैरोकार सरकार अभिभाषक–रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 18.6..2024.

अपीलार्थीगण ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 36 / 2022 (अपील) अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट उनवान मुकेश वगेरा बनाम राज0 सरकार जरिये तह0 पीपल्दा जिला कोटा मे पारित निर्णय दिनांक 24.8.2022 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्व यह द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा द्वारा ग्राम प्रेमपुरा की ख0 नं0 691, 768 की कुल 7.56 है0 भूमि पर अपीलांट्स को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 50 गुणा शास्ति तथा आराजी से बेदखल कर 3 माह की सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। तहसीलदार पीपल्दा के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय मे पेश कर तहसीलदार पीपल्दा का निर्णय दिनांक 9.2.2022 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने का अनुरोध किया। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलांट की अपील निर्णय दिनांक 24.8.2022 से खारिज की गई जिसकी अप्रसन्नता से द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे इस आशय कि पेश की गई कि अपीलांट के पूर्वजो के विरूद्व सीलिंग कार्यवाही चली थी जिसमे निर्णय दिनांक 23.4.75 से सीलिंग कार्यवाही को समाप्त किया गया था। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 18.8.81 एंव 24.8.81 की पालना मे प्रकरण रिओपन किया गया और अपीलांट की 342.55 स्टे0 एकड भूमि अधिग्रहण किये जाने की आज्ञा दी गई। जिसके विरूद्व अपीलांट के पूर्वजो द्वारा अपील करने पर न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने दिनांक 2.1.89 को अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये केवल मात्र 41.80 स्टे0 एकड भूमि अधिग्रहण योग्य मानी जिसके विरूद्व राज्य सरकार के यहा कार्यवाही की, राज्य सरकार ने आदेश दिनांक 16.7.1992 को पुनः निर्णय प्रदान करते हुये अपने स्वयं के आदेश दिनांक 18.8.81 एंव 24.8.81 को निरस्त करते हुये तथा उक्त आदेशो की अनुपालना मे पारित हुए समस्त आदेशों को निरस्त करते हुये उपजिलाधीश कोटा के आदेश दिनांक 23.4.75 को बहाल रखा अर्थात अपीलार्थी के पूर्वजो की कोई भूमि अधिग्रहण योग्य नही मानी। न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश सीलिंग कोटा के आदेशानुसार अपीलार्थी के पूर्वजो की तहसीलदार पीपल्दा ने ग्राम

32

प्रेमपुरा की कुल 7 किता की 195 बीघा 2 बिस्वा भूमि अधिग्रहण कर सिवायचक खाता सरकार दर्ज कर दी। प्रस्तुत मामले मे जिस भूमि पर अतिक्रमण बताया है वह उक्त भूमि मे से ही है। वास्तव मे अपीलार्थी के पूर्वजो के खाते की कोई भूमि सीलिंग मे अधिग्रहण योग्य नही है उपजिलाधीश कोटा ने सीलिंग कार्यवाही ड्राप की तथा उसके पश्चात अन्तिम रूप से भी राज्य सरकार ने अपने आदेश दिनांक 16.7.92 से कार्यवाही समाप्त की है। अधिगृहित भूमि वापस अपीलार्थी के खाते दर्ज करने की कार्यवाही न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश सीलिंग कोटा के यहां सन् 1992 से ही विचाराधीन चल रही है। उपरोक्त परिस्थितियों मे अपीलार्थी ने किसी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नही किया है बल्कि अपने पूर्वजो की खातेदारी की भूमि पर काबिज चला आ रहा है। अतः अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण समय बद्ध सीमा मे पूर्ण जांच कर अपीलार्थी को न्यायोचित सहायता प्रदान करने का निर्देश प्रदान किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया एंव कथन किया कि वादग्रस्त भूमि अपीलार्थी के पूर्वजो के खाते की भूमि है जिसे सीलिंग मे अधिग्रहण योग्य नही माना है। उपजिलाधीश कोटा ने सीलिंग कार्यवाही ड्राप की तथा उसके पश्चात अन्तिम रूप से भी राज्य सरकार ने अपने आदेश दिनांक 16.7.92 से कार्यवाही समाप्त की है। अधिगृहित भूमि वापस अपीलार्थी के खाते दर्ज करने की कार्यवाही न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश सीलिंग कोटा के यहां सन् 1992 से ही विचाराधीन चल रही है। उपरोक्त परिस्थितियों मे अपीलार्थी ने किसी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नही किया है बल्कि अपने पूर्वजो की खातेदारी की भूमि पर काबिज चला आ रहा है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

4 पैरोकार सरकार रेस्पो0 कथन किया कि वादग्रस्त आराजी सीलिंग मे अधिग्रहित आराजी है जो वर्तमान मे राजकीय सिवायचक खाता सरकार दर्ज है। अपीलांट का उस पर अतिक्रमण है। अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों का समुचित परीक्षण कर निर्णय पारित किया है जो न्यायोचित है। अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पो0 पैरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से हम इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि वादग्रस्त आराजी सीलिंग मे अधिग्रहित आराजी है जो वर्तमान मे राजकीय सिवायचक खाता सरकार दर्ज है। अपीलांट का उस पर अतिक्रमण है। अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने जेरअपील निर्णय दिनांक 24.8.2022 से रिकार्ड मे अपीलांट को पूर्व मे इस भूमि से बेदखल करने की बेदखली फर्द संलग्न नही होने एंव अपीलांट के विरूद्ध पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली मे नही होने से अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर सिविल कारावास की सजा को स्थगित करते हुय शेष आदेश यथावत रखा है। प्रथम अपीलीय न्यायालय का उपरोक्त निर्णय विधिसम्मत है। जिसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजाइंश नही है। परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती है।

6 निर्णय आज दिनांक 18.6.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा